Form no. 111 App -A

crim -1

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

रणजीत सिंह/निरंजन सिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:–111,128 LRAct नं. 387 / प्रा0पत्र / सत्र / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/6/25	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो।	
17/6/25	पत्रावली पेश हुई। तामील रिपोर्ट व TDR रिपोर्ट अप्राप्त वास्ते इंतजार तामील व Report TDR हेतु पत्रावली दिनांक 1/7/25 को पेश हो।	
1/7/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 10/7/25 को पेश हो TDR रिपोर्ट प्राप्त।	
10/7/25	वकील प्रार्थी उप./ TDR रिपोर्ट प्राप्त / जवाब पेरोकार सरकार पेश किया / बहस प्रा. पत्र सुनी गई / पत्रावली वास्ते आदेश दि. 15/7/25 को पेश हो/	
15/7/2025	वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा.पत्र प्रार्थी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया	

Scanned with OKEN Scanner

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं... अहल... हुक्म तामीलम...
	गया। पत्रावली ~~बाद~~ फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। ह॰ [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
387/प्रा0पत्र/2025	12.06.2025	15.07.2025

रणजीत सिंह उम्र वयस्क पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति जट सिक्ख निवासी भंवरिया कुआ तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

–अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री अखिलेश जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 306/239 कबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है उपरोक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर तारबन्दी करवाना चाहते है जिसके लिए उक्त भूमि पर तहसीलदार तालेडा से सीमाज्ञान करवाया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि का औपचारिक रूप से सीमाज्ञान किया गया है इसलिए प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी तहसीलदार तालेडा से करवाई जाने बाबत् आदेशित किया जाना न्यायाहित में अति–आवश्यक है। यह कि उक्त आराजीयात माननीय न्यायालय के आधिकार क्षेत्र में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 306/239 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान की मौके पर पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार तालेडा को दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा दिनांक 27.6.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना एवं भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होना अंकित किया गया साथ ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर किसी भी न्यायालय में स्थगन एवं वाद दायर नही होना अंकित किया।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 48 नया 118 की खसरा संख्या 306/239 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की प्रति एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट की छायाप्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 48 नया 118 की खसरा संख्या 306/239 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम

Scanned with OKEN Scanner

बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 में रणजीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जट सिक्ख नि0 भवरिया कुआ सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी की उपस्थिति में वाद वर्णित खतौनी संख्या पुरानी 48 नया 118 की खसरा संख्या 306/239 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की पत्थरगढी की जावे। वाद वर्णित आराजी पर यदि किसी न्यायालय में स्थगन अथवा भूमि विवादित हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner